

Office of the Comptroller & Auditor General of India  
New Delhi -110 124

(For exclusive use in IA&AD and not  
to be quoted or published elsewhere)

Circular No. 08- Staff (App 1)/2016

No.132- Staff (App 1)/11-2014

Dated 27.01.2016

To

1. All Heads of Department in the IA&AD
2. Pr Director (Exam)
3. Director General (Commercial)
3. Director (P)

**Subject:** Recruitment Rules for the posts of Data Entry Operator, Grade 'A', GP Rs. 2,400 and Data Entry Operator Grade 'B', GP Rs. 2,800.

Sir/Madam,

I am to forward a copy of Recruitment Rules for the posts of Data Entry Operator Grade 'A' and Data Entry Operator Grade 'B', which have been notified in Gazette of India, Part II Section 3 Sub-Section (i) vide GSR No. 12 dated 13.01.2016 for appropriate action. These rules have been notified in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Group 'C' Electronic Data Processing posts) Recruitment Rules, 1994, in so far as it relates to the posts of **Data Entry Operator and Console Operator.**

2. In the aforesaid revised RRs, it has been prescribed that DEO, Grade 'A' (GP Rs. 2,400) with five years regular service in the grade and who have successfully completed two weeks of training in relevant area as prescribed by the Department from time to time will be considered for promotion to the post of DEO, Grade 'B' (GP Rs. 2,800).
3. It is further stated that this office vide Circular No. 04- Staff (App 1)/2016 issued under No. 94- Staff (App 1)/11-2014 dated 15.01.2016 has already circulated the detailed guidelines regarding training of two weeks to be provided to DEOs Grade 'A' for promotion to the post of DEO Grade 'B'. The evaluation at the end of two weeks training would be done in-house by the field offices. Further, the minimum qualifying marks for declaring candidates successful in the training shall be 40%.
4. It is again impressed that all offices may organize and complete the training programme for all the eligible DEOs Grade 'A' at the earliest so as to enable the DPC to consider their promotion in time.
5. The receipt of this circular may be acknowledged

Yours faithfully,

  
27/01/16  
(Ranjit Singh)

Assistant Comptroller & Auditor General (N)

	-Chairperson.	
	2. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director or an officer of equivalent rank (from an office other than the one in which confirmation is considered)-Member.	
	3. Senior Accounts Officer or Senior Audit Officer or Accounts Officer or Audit Officer or an officer of equivalent rank-Member.	

[F. No. A-12018/1/2012-EG]

NIRMALA DEV, Dy, Secy. (EG)

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2016

**सा.का.नि. 12.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (समूह 'ग' इलेक्ट्रॉनिक आंकड़े प्रक्रमण पद) भर्ती नियम, 1994 को जहाँ तक उनका सम्बन्ध आंकड़े प्रविष्टि ऑपरेटर तथा कंसोल ऑपरेटर के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रिय कार्यालयों में आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक के पदों श्रेणी-क और आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'ख' समूह 'ग' पद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, (समूह 'ग' इलेक्ट्रॉनिक आंकड़े प्रक्रमण पद) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

**3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**5. निरर्हता.**—वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

**6. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

**7. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी- 'क'	2938 * (2016)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समतुल्य से गणित विषय सहित विज्ञान शाखा में 12वीं स्तर उत्तीर्ण (ii) आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए 15000 की डिप्रेशन प्रति घंटे से कम की गति ना हो, की गति का निर्णय कम्प्यूटर पर गति परीक्षण द्वारा किया जाएगा। <b>टिप्पण-</b> अर्हता, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं। कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा <b>टिप्पण-</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग या केन्द्रीय मंत्रालयों के अन्य कार्यालयों में सदृश पद पर धारण किये हुए कर्मचारियों जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं; में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. ज्येष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक या उप महालेखाकार या उप निदेशक या प्रशासन समूह का भारसाधक समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक या उप महालेखाकार या उप निदेशक या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी (भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के अन्य कार्यालय से) -सदस्य 3. ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी या लेखा अधिकारी या लेखा परीक्षा अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी- 'ख'	507* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन	18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर कार्यक्रम या डीओईएसीसी- 'क' स्तर में एक वर्ष का डिप्लोमा सहित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित विषय सहित विज्ञान शाखा में 12 वीं स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य और किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या मान्यता प्राप्त संस्थान में ईडीपी कार्य में 2	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

<p>वर्ष का अनुभव; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर कार्यक्रमण या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान में बैचलर डिग्री।</p> <p>(ii) आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए 15000 की डिप्रेशन प्रति घंटे से कम की गति न हो, की गति का निर्णय कम्प्यूटर पर गति परीक्षण द्वारा किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> अर्हता, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			
--	--	--	--

**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा**

(11)

**प्रोन्नति :-** वेतन बैंड- 1, + ग्रेड वेतन 2400 रु. में ऐसे आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी- 'क' जिन्होंने श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है और समय-समय पर विभाग द्वारा यथा विहित संबंधित क्षेत्र में दो सप्ताह के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

**टिप्पण 1 :-** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण 2 :-** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

**प्रतिनियुक्ति :- केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :-**

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड- 1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. में नियमित आधार पर उस पद में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

**टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी

अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p><b>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, (सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ज्येष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक या उप महालेखाकार या उप निदेशक या प्रशासन समूह का भारसाधक समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी -अध्यक्ष</li> <li>ज्येष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक या उप महालेखाकार या उप निदेशक या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी (भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के अन्य कार्यालय से) -सदस्य</li> <li>ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखपरीक्षा अधिकारी या लेखा अधिकारी या लेखा परीक्षा अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी -सदस्य</li> </ol> <p><b>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति, सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ज्येष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक या उप महालेखाकार या उप निदेशक या प्रशासन समूह का भारसाधक समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी -अध्यक्ष</li> <li>ज्येष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक या उप महालेखाकार या उप निदेशक या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी (भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के अन्य कार्यालय से) -सदस्य</li> <li>ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखपरीक्षा अधिकारी या लेखा अधिकारी या लेखा परीक्षा अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी -सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/4/2010-ईजी]

निर्मला देव, उप सचिव (ई जी)

New Delhi, the 13th January, 2016

**G.S.R. 12.**—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Group 'C' Electronic Data Processing posts) Recruitment Rules, 1994, in so far as it relates to the post of Data Entry Operator and Console Operator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the Group 'C' posts of Data Entry Operator Grade 'A' and Data Entry Operator Grade 'B' in the headquarters and field offices of the Indian Audit and Accounts Department, namely:—

**1. Short title and commencement.—**

(1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Group 'C' Electronic Data Processing posts) Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.—**These rules shall be applicable to the post specified in column (1) of Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—**The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**5. Disqualification.—**No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.—**Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Data Entry Operator Grade 'A'	2938 * (2016) * (Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1: Rs.5200-20200 with grade pay Rs.2400.	Not applicable	Between 18 to 27 years. (relaxable up to 40 years in case of Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12 <sup>th</sup> standard pass in Science stream with Mathematics as a subject from a recognized Board or equivalent	Not applicable	Two years.	Direct recruitment through Staff Selection Commission.

<p>(ii) A speed test of not less than 15000 key depressions per hour for data entry work to be ascertained through speed test on computer.</p> <p><b>Note:</b> Qualification is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p>			<p><b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled, on deputation by officials from the other offices of the Indian Audit and Accounts Department or Central Ministries holding analogous posts on regular basis and possessing educational qualifications prescribed for direct recruits at column (7).</p>
---	--	--	---

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	<p><b>Group C Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director or an Officer of equivalent rank in-charge of administration group -Chairperson.</li> <li>2. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director or an Officer of equivalent rank (from an office other than the one in which confirmation is considered) -Member.</li> <li>3. Senior Accounts Officer or Senior Audit Officer or Accounts Officer or Audit Officer or an Officer of equivalent rank -Member.</li> </ol>	Not applicable.

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Data Entry Operator Grade 'B'	507 * (2016)  *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1: Rs.5200-20200 with grade pay Rs.2800.	Non-Selection	Between 18 to 27 years. (relaxable up to 40 years in case of Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.



Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(i) 12th Standard pass or equivalent in Science Stream with Mathematics as a subject from a recognized Board with one year Diploma in Computer Applications or DOEACC-A Level from a recognized Institute and 2 years experience in EDP work in a Government Office or PSU or Statutory or autonomous organizations or recognized institution;</p> <p>Or</p> <p>Bachelor's Degree in Computer Applications or Information Technology or Computer Science of a recognized University/Institute;</p> <p>(ii) A speed test of not less than 15000 key depressions per hour for data entry work to be ascertained through speed test on computer.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable	Two years for direct recruits	Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Data Entry Operator Grade 'A' in the PB-1: with grade pay of Rs. 2400 with 5 years regular service in the grade and have successfully completed two weeks of training in relevant area as prescribed by the Department from time to time.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered</p>	<p><b>Group C Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director or an officer of equivalent rank in-charge of administration group-Chairperson.</li> <li>2. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director or an officer of equivalent</li> </ol>	Not applicable.

<p>provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an official prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><b>Deputation:</b> Officials under the Central Government:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-1: Rs. 5200-20200 with grade pay Rs. 2400 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental officials in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>rank (from an office other than the one in which promotion is considered)-Member.</p> <p>3. Senior Accounts Officer or Senior Audit Officer or Accounts Officer or Audit Officer or an Officer of equivalent rank-Member.</p> <p><b>Group C Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation of direct recruits) consisting of :-</b></p> <p>1. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director or an officer of equivalent rank in-charge of administration group-Chairperson,</p> <p>2. Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director or an officer of equivalent rank (from an office other than the one in which confirmation is considered)-Member, and</p> <p>3. Senior Accounts Officer or Senior Audit Officer or Accounts Officer or Audit Officer or an Officer of equivalent rank-Member.</p>	
--	--	--

[F. No. A-12018/4/2010-EG]

NIRMALA DEV, Dy. Secy. (EG)